

नं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	अभिलेख उपस्थापित।	3
	<p>ख्रीस्ट अर्पित बाजराय, पिता-स्व० जे० ए० बाजराय, ग्राम-हुडहुडू टोला पतरातू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-चानो-1, थाना नं०-148, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-33/81, रकवा-08 डी० भूमि तेरेसा होरो, पिता-अलेक्सयुस होरो, ग्राम-लाखे, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 395/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि- क्रेता तेरेसा होरो एवं विक्रेता ख्रीस्ट अर्पित बाजराय अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 1.41 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं डा० मसीचरण पंकज के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-11 के पृष्ठ सं० 162/1 पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता ख्रीस्ट अर्पित बाजराय का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/172633 दिनांक-26.03.2022 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCST/2022/128940 दिनांक-26.03.2022 और क्रेता तेरेसा होरो का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/189732 दिनांक-09.04.2022 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCST/2022/147535 दिनांक-09.04.2022 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर</p>	

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्य
टिप्पणी

2

कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर,
ग्राम-चानो-1, थाना नं0-148, खाता संख्या-20, प्लॉट
संख्या-33/81, रकवा-08 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति
प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती
है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।